न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 24/2020 (2020/00117)

अनवान : —

1. कनीराम पुत्र मुरलीधर जाति महाजन निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल आबाद भादरा तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :— श्री लीलाधर अग्रवाल **प्रार्थी**
राज पैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 डीपीएन के वर्तमान खाता सं 13/12 के मु0 न0 61 की कुल 1.22705 हैक्टेयर व चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 12/12 के मु0 न0 22, 30 की कुल 3.289 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र मुरलीधर दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम कनीराम की बजाये कानाराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता मुरलीधर के कानाराम नामक कोई लड़का नहीं है। प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम कनीराम पुत्र मुरलीधर दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत नेठराना के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में कनीराम की बजाये कानाराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम कानाराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम कनीराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:41:28 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कनीराम के स्थान पर कानाराम दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार, बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं का ऑनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम कानाराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मौजा चक 10 डीपीएन के वर्तमान खाता सं 13/12 के मु0 न0 61 की कुल 1.22705 हैक्टेयर व चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 12/12 के मु0 न0 22, 30 की कुल 3.289 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम कनीराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार ने जबाबदावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी पालाराम पुत्र अर्जन जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भोला हॉल बिरमी खालसा तहसील राजगढ़ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पंचायत नेठराना द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, जमांबदी चक 10 डीपीएन सम्वत 2071–74 खता संख्या 13/12 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 7 एनटीआर के सम्वत 2074–77 खाता सं 12/12 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये। आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड इत्यादि की प्रति संलग्न पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक 10 डीपीएन के वर्तमान खाता सं 13/12 के मु0 न0 61 की कुल 1.22705 हैक्टेयर व चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 12/12 के मु0 न0 22, 30 की कुल 3.289 हैक्टेयर में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम कनीराम पुत्र मुरलीधर के स्थान पर कानाराम पुत्र मुरलीधर दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने प्रति आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम कनीराम पुत्र मुरलीधर अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 10 डीपीएन के वर्तमान खाता सं 13/12 के मु0 न0 61 की कुल 1.22705 हैक्टेयर व चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 12/12 के मु0 न0 22, 30 की कुल 3.289 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम **''कानाराम के स्थान पर कनीराम''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से देय बकाया हो तो उसके लिए कानाराम ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व [illegible] को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible]/2021 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:28 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)